

मूल वाद में अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, हमीरगढ़
पीठासीन अधिकारी:- झंवर लाल (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर :- 53 / 2023

उनवान

1. बदाम सालवी पत्नी श्री प्रताप सालवी बलाई निवासी खैराबाद तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा।

—(वादी)

बनाम

1. शंकर पुत्र श्री जेता बलाई निवासी खैराबाद तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा।
2. बैंक ऑफ बडौदा शाखा खैराबाद तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0) जरिये शाखा प्रबंधक।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा राजस्थान

—(प्रतिवादीगण)

वादपत्र अन्तर्गत धारा-53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत विभाजन आराजियात उपस्थित :-


श्री कैलाश चन्द्र आचार्य वादी
राज्य पक्ष तहसीलदार हमीरगढ़
अप्रार्थी संख्या 01 उप0

दिनांक- 6/01/2026

वादी व प्रतिवादी की उपस्थिति में इस वाद के आज दिनांक 06/01/2026 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर राजीनामा अनुसार वादपत्र में विभाजन की डिक्री बहक वादी व प्रतिवादीगण के इस आशय की जारी की जाती हैं कि ग्राम खैराबाद पटवार हल्का खैराबाद भू0अ0नि0 खैराबाद तह0 हमीरगढ़ की आराजियात बंटवारा सूची अनुसार:-

1. बदाम सालवी पत्नी प्रताप सालवी बलाई सा.देह खातेदार
रहन बैंक ऑफ बडौदा शाखा खैराबाद

आ0न0	रकबा
1180 / 3 का भाग	0.0379 है0
1203 का भाग	0.0835 है0
1181 / 2 का भाग	0.0348 है0
1529 का भाग	0.2118 है0
कुल खसरा 4	0.3680 है0


उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़, जिला-भीलवाड़ा

2. शंकर पुत्र जेता बलाई सा. देह खातेदार
रहन बैंक ऑफ बडौदा शाखा खैराबाद


आ0न0	रकबा
1180 / 3 का भाग	0.1138 है0
1181 / 2 का भाग	0.1043 है0
1203 का भाग	0.2506 है0
1529 का भाग	0.6354 है0
कुल खसरा 4	1.1041 है0

3. सामलाती

आ0न0	रकबा
1203 का भाग	0.0200 है0
कुल खसरा 1	0.0200 है0

उक्त डिक्री का नजरी नक्शा पार्ट रहेगा। तहसीलदार हमीरगढ उक्त विभाजन अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद व राजस्व नक्शे में पालना हेतु एक प्रति प्रेषित की जावे। खर्चा पक्षकारन अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 06/01/2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।


(अंवर लाल, आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, हमीरगढ